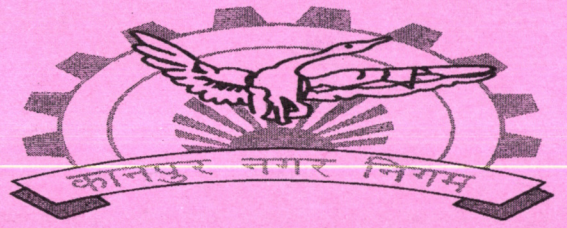

कानपुर नगर निगम

मा0 नगर निगम (सदन) की सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 11.11.2014 (मंगलवार)

पूर्वान्ह 11–00 बजे

स्थानः नगर निगम सदन सभागार, मोतीझील, कानपुर

कार्यालय सचिव नगर निगम,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/160/सचिव (न.नि.)/14–15 दिनांक : **13.11.2014**

सेवामें

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.....,

पार्षद वार्ड सं0...../नाम निर्दिष्ट सदस्य/पदेन सदस्य,
नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 11.11.2014 दिन मंगलवार पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 12 तक।

(राम बली पाल)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रथम/द्वितीय) महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक–11-11-2014 दिन मंगलवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे मोतीझील परिसर स्थित नगर निगम सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**	श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य	श्रीमती शकुन्तला गुप्ता	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राम जानकी यादव	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना साहू	पार्षद/सदस्य	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य	श्री रामकुमार पाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय "पप्पू"	पार्षद/सदस्य	श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य	श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य
श्री अतुल त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लक्ष्मी कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री सलीम बेग	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य	श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य	श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य	श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती गीता देवी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य	श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य	श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य
श्री हरिश्चन्द्र	पार्षद/सदस्य	श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य	श्री कमल शुक्ल "बेबी"	पार्षद/सदस्य

ह0....महापौर

श्री अब्दुल कलाम	पार्षद / सदस्य
श्री आलोक दुबे	पार्षद / सदस्य
श्रीमती सोनी पाल	पार्षद / सदस्य
श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद / सदस्य
डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री रामौतार प्रजापति	पार्षद / सदस्य
डा0 नीना अवस्थी	पार्षद / सदस्य
श्री सुरजीत सचान	पार्षद / सदस्य
श्री राजेश कुमार सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
श्री विनय अग्रवाल	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद / सदस्य
श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद / सदस्य
श्री आदर्श दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री मनोज यादव	पार्षद / सदस्य
श्री राकेश साहू	पार्षद / सदस्य
श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री धर्मनाथ मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद / सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद / सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद / सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद / सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद / सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद / सदस्य
श्री सारिया	पार्षद / सदस्य
श्री सुशील तिवारी	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद / सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद / सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद / सदस्य
श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद / सदस्य
श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद / सदस्य
श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद / सदस्य
श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद / सदस्य
श्री आमोद	पार्षद / सदस्य
श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद / सदस्य
श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद / सदस्य
श्री कैलाश नाथ पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद / सदस्य
मो0 इरफान खान	पार्षद / सदस्य
श्री रमापत झुनझुनवाला	पार्षद / सदस्य

नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री बलवन्त सिंह

श्री शैलेन्द्र मिश्रा

श्री अब्दुल वासिद	श्री तरूण कुमार शर्मा	मुख्य अभियन्ता
श्री शशीभाल शुक्ला	श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक जलकल
श्री मुन्सिफ अली रिजवी	श्री आर.एम. अस्थाना	मुख्य अभियन्ता ''वि./याँ.
श्री चन्द शेखर यादव		
श्री आकिल सिद्दकी		

पदेन सदस्य

श्री सतीश कुमार निगम — स0वि0स0/सदस्य

अधिकारीगण

श्री उमेश प्रताप सिंह — नगर आयुक्त

श्री विनोद कुमार गुप्ता — उप नगर आयुक्त

वन्देमातरम् गायन के पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि इतने मंद स्वर में राष्ट्रीय गीत गाया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि शोक प्रस्ताव पास किया गया हो। अध्यक्ष महोदय पूर्व में दिनांक–15.10.2014 एवं 16.10.2014 को आहूत सदन की बैठक जो दिनांक–15.10.2014 को स्थगित कर दी गई थी कृपया तत्सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि यह राष्ट्रीय गीत का अपमान है, इस कृत्य के लिये श्री अशोक चन्द्र तिवारी से कृपया सदन में माफी मंगवाई जाये। इसके पश्चात् सदन में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभागार में शोरगुल कर रहे सदस्यों को शांत करते हुये श्री अशोक चन्द्र तिवारी से कहा कि यदि आपने आज दिनांक–11.11.2014 की आहूत बैठक की कार्यसूची को पढ़ा होगा तो स्वतः स्पष्ट हो जायेगा कि दिनांक–15.10.2014 एवं 16.10.2014 को आहूत सदन की बैठक को कतिपय कारणों से निरस्त करते हुये अल्पकालीन सत्र आहूत किया गया है। इसके साथ ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दिनांक–15.10.2014 को आहूत सदन की बैठक में राष्ट्रगान के आरोप की जाँच हेतु उ0प्र0 शासन ने मण्डलायुक्त, कानपुर मण्डल एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर को निर्देशित किया है, मैंने संकल्प लिया था कि जब तक उ0प्र0 शासन द्वारा मुझे आरोप मुक्त नही कर दिया जायेगा, तब तक सदन की बैठक आहूत नही करूँगा, परन्तु कानपुर नगर के नागरिकों एवं सफाई कर्मचारियों के हित के दृष्टिगत तथा कर्मचारी नेताओं द्वारा किये गये अनुरोध पर आत्म

ह0....महापौर

मंथन के पश्चात् आज सदन का अल्पकालीन सत्र आहूत किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में कार्यसूची में अंकित प्रस्ताव सभी सदस्यों के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत है।

प्रस्ताव संख्या–129

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, गढमुक्तेश्वर, जनपद–हापुड़/
बिलारी, जनपद मुरादाबाद/भदोही जनपद संतरविदास नगर।
नगर आयुक्त नगर निगम,कानपुर।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषयः– अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराये जाने हेतु निकाय को नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री मदन चौहान, मा0 सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक रहित अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद का पत्र दिनांक 05.09.14 श्री आरिफ सिद्दीकी पूर्व अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद भदोही, संत रविदास नगर का पत्र दिनांक 16.06.14 व नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर का पत्र दिनांक 02.09.14 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिनके माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराये जाने हेतु नया सवेरा नगर विकास योजना अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

ह0....महापौर

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास कार्य कराये जाने हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उनकी मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। यदि निकाय को नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत धनराशि की आवश्यकता हो तो कार्योजना का प्रस्ताव/आगणन (मूल रूप में) जो अधिशासी अभियंता स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित हो निकाय बोर्ड का प्रस्ताव सहित निम्न बिन्दुओ पर सूचना शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. निवांल्विंग फण्ड से निकाय को अब तक कितनी धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त हुई है तथा ऋण से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कितनी धनराशि की अदायगी निकाय द्वारा की जा चुकी है।
2. राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से ऋण की धनराशि का समायोजन किया जाता है। वर्तमान में निकाय को प्राप्त होने वाली राज्य वित्त आयोग की धनराशि से यदि कटौती की जाती है तो निकाय कर्मियों के वेतन/भत्तों/पेंशन आदि पर प्रभाव तो नही पड़ेगा।
3. उक्त कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित तो नही है, का प्रमाण पत्र ।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय
ह0.....
(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

.....उपरोक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–130</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 30.08.14 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 670 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

आपको अवगत कराना है कि सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 1081/9–1–14–466सा/ 2013 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 31 जुलाई 2014 एवं निदेशक के पत्रांक सांख्यिकी सेल(च)/272 संविदा सफाई कर्मचारी दिनांक 14 अगस्त, 2014 के द्वारा संविदा सफाई कर्मचारियों की देय धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :–

ह0....महापौर

1. नगरीय स्थानीय निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कार्मिकों को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन वैण्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा उस पर राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि को जोड़ते हुए संविदा राशि उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य करायी जायेगी जो पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।
2. विन्दु सं0 1 में वर्णित संविदा पुनरीक्षित धनराशि नागर निकाय के उन्हीं संविदा सफाई कर्मचारियों को अनुमन्य होगी। जिनकी नियुक्ति शासनादेश सं0 4140/ नौ–1–2005–66सा/2001 टी0सी0 दिनांक 26 अगस्त 2005 के प्राविधानों नियमों के अन्तर्गत पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी है।
3. पुनरीक्षित धनराशि के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार को निकाय स्रोतों से वहन करने का प्रस्ताव सम्बन्धित निकाय के वोर्ड/सदन से पारित करने के उपरान्त ही शासन द्वारा भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
4. उपरोक्त प्रस्तर 3 में उल्लिखित प्रस्ताव निकायों द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक स्थानीय निकाय संकलित प्रस्ताव शासन को तत्काल प्रेषित कर भुगतान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
5. शासनादेश सं0 104 म.न.वि./9–1–12–203 सा/10 नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई, 2012 में संविदा सफाई कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी संविदा कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश दिये गये।
6. नगर निगम कानपुर के स्वास्थ्य विभाग में चयन समिति के माध्यम से 1412 तथा केयर टेकर विभाग में 08 कुल 1420 संविदा सफाई कर्मचारी हैं। चयन प्रक्रिया के अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग में 752 संविदा सफाई कर्मचारी लगभग 08 सालों से सफाई का कार्य कर रहे हैं। यदि उन्हें भी शासनादेश में वर्णित वेतन वैण्ड एवं ग्रेड पे का लाभ दिये जाने का निर्णय होता है तो निम्नवत व्यय भार आयेगा :–

मूलवेतन	–	रू0	5200.00		
ग्रेड पे	–	रू0	1800.00		
			योग	– रू0	7000.00
मंहगाई भत्ता	–	100 प्रतिशत		– रू0	7000.00
			कुल योग	– रू0	14000.00 प्रति कर्मचारी

चयन प्रक्रिया के माध्यम से कुल 1420 कर्मचारियों पर प्रति माह व्यय भार – 19880000.00 एवं अन्य 752 कर्मचारियों पर व्यय भार 10528000.00 आयेगा कुल व्यय 30408000.00 व्यय प्रतिमाह आयेगा।

श्री महेन्द्र शुक्ल ने कहा कि अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार इन संविदा सफाई कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है, उसी प्रकार विगत कई वर्षो से मार्गप्रकाश विभाग में एवजदार के पद पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी नियुक्त किया जाये, क्योंकि मार्गप्रकाश विभाग में भी मानव बल कम होने की वजह से ही शहर के अधिकतर क्षेत्र के प्रकाश बिन्दु बन्द रहते है। 400 एवजदारों में से कुछ मर चुके है, अवशेष 143 एवजदार जो मात्र रू0 5300/– प्रतिमाह के पारिश्रमिक पर कार्य कर रहे है, जबकि सफाई कर्मियों को रू0 6600/– प्रतिमाह दिये जाते है।

अध्यक्ष ने कहा कि आपके प्रस्ताव पर बाद में विचार किया जायेगा।

..... संविदा सफाई कर्मियों को पुनरीक्षित देय धनराशि के भुगतान की सहमति प्रदान करते हुये उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>प्रस्ताव संख्या–131</u>

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 30.08.14 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 674 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

<u>प्रस्ताव</u>

सचिव, नगर विकास के पत्र संख्या 11183/स0न0वि0/2014 दिनांक 07 जुलाई, 2014 के द्वारा मेसर्स स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग सॉल्यूशन, मुम्बई के सम्बन्ध में प्रस्ताव माँगा गया था। इस प्रस्ताव में ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से एनर्जी सेविंग लाइट (एल0ई0डी0) लगाने का प्रस्ताव था, जिससे कि स्ट्रीट लाइट के लोड को समुचित प्रकाश व्यवस्था करते हुये घटाया जा सके। इसमें यह भी प्रस्ताव था कि कम्पनी सभी फिटिंगों को अपने व्यय पर बदलेगी तथा बिजली के बिल में जो बचत होगी, उस धनराशि के एक निश्चित भाग फर्म को देय होगा। प्रथम चरण में कानपुर नगर के जोन–2 एवं जोन–4 में यह कार्य प्रस्तावित है।

इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त के पत्र संख्या डी/253/सी0ई0(एल0)/2014–15 दिनांक–11.07.2014 के द्वारा नगर निगम द्वारा शासन को सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई थी। मेसर्स स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग सॉल्यूशन, मुम्बई के द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया है, उसमें से मुख्य बिन्दु निम्नवत् है।

1. एल0ई0डी0 लाइट के बदले जाने का सम्पूर्ण व्यय फर्म का होगा जिस पर निगम को किसी भी प्रकार की पूँजी का निवेश नही करना होगा।
2. एल0ई0डी0 लाइट से 70 से 75 प्रतिशत ऊर्जा की बचत वर्तमान बिजली की दरों पर होगी।
3. 10 वर्षो तक यह फर्म का दायित्व होगा कि वह एल0ई0डी0 लाइट के खराब होने की दशा में बदलने व अनुरक्षण का कार्य करायेगी।
4. प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली बिजली की बचत के समतुल्य राशि के निश्चित भाग को प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित फर्म को देय होगा।
5. निर्धारित बचत में कमी होने पर अर्थदण्ड का भी प्राविधान होगा।

कानपुर का एनर्जी ऑडिट बी0ई0ई0 द्वारा कराया जा चुका है। जिसमें नगर निगम की स्ट्रीट लाइट भी शामिल है। इसकी डी0पी0आर0 बी0ई0ई0 की गाईड लाइन के अनुसार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड (पी0पी0पी0 मॉडल) पर एनर्जी ऑडिट के अनुसार बनाने हेतु तथा सीजन के अनुसार कन्ट्रोल मिकेनिज्म बनाने हेतु कन्सलटेन्ट की आवश्यकता है। कन्सलटेन्ट का चयन या तो शासन स्तर से किर दिया जाय अथवा नगर निगम को कन्सलटेन्ट नियुक्त हेतु प्रक्रिया आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाय। अन्तिम टेण्डर प्रक्रिया के पश्चात पुनः यह प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से मा0 सदन में स्वीकृतार्थ प्रेषित किया जायेगा।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार श्री राकेश मोहन अस्थाना ने सदस्यों को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से एनर्जी सेविंग लाइट (एल0ई0डी0) लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है, जिससे स्ट्रीट लाइट के लोड को समुचित प्रकाश व्यवस्था करते हुये घटाया जा सकेगा। विशेष रूप से मैन पावर की कमी को दृष्टिगत इस प्रस्ताव पर विचार करना उचित होगा।

अध्यक्ष ने कहा कि निर्णय लिये जाने से पूर्व कोई भी सदस्य अपने विचार स्वतंत्र रूप से रख सकता है। विचार व्यक्त करते समय अन्य सदस्य विचार व्यक्त कर रहे सदस्य की बात सुनने का अभ्यास भी कर ले।

श्री कमल शुक्ल "बेबी" ने कहा कि इस प्रस्ताव को देख कर निर्वाचित सदन 2006–2011 की याद आती है, जिसमें इसी प्रकार एटूजेड से सम्बन्धित शासन का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया था, जिस पर तरह–तरह के लुभावने सपने दिखाये गये थे, कि कम्पनी डोर टू डोर

ह0....महापौर

कूड़ा उठायेगी तथा कूड़े से खाद बनाई जायेगी, लेकिन आज स्थिति साफ है कि शहर का कूड़ा कितना उठ रहा है। वर्ष 1989 के पूर्व से नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग कितना क्रियाशील रहा है। अनेक कूड़ा गाड़ियाँ थी, जिसे एटूजेड के प्रस्ताव के कारण आज नगर निगम की सभी गाड़ियाँ एटूजेड में देने के पश्चात् भी शहर का कूड़ा नही उठ पा रहा है। इसी अनुभव से मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रस्ताव तत्प्रस्ताव की बहन है। मार्गप्रकाश विभाग ट्यूब लाईट, सोडियम, मर्करी जो क्षेत्रों में लग रही है, वही अच्छी है, अतः इस प्रस्ताव को शासन को वापस भेज दिया जाये।

मा0 विधायक श्री सतीश कुमार निगम ने सदस्यों को अवगत कराया कि मैं भी पूर्व में इस सदन का सदस्य रह चुका हूँ। पूर्व में निर्वाचित सदस्य विशेष रूप से अनुशासित रहते हुये सदन सभागार में अपनी बात प्रस्तुत करते थे, अतः निर्वाचित सदस्यों से यह अनुरोध करता हूँ कि जो व्यक्ति बोल रहा हो उसकी बात सुनने के पश्चात् ही अपनी बात प्रस्तुत करे, बीच–बीच में टोकना उचित प्रतीत नही होता है। प्रशासनिक दृष्टि से ऊर्जा बचत हेतु प्रस्ताव उचित है, परन्तु संदर्भित पर कहना चाहता हूँ कि पूरी कार्य योजना तैयार करते हुये अनुबन्ध की एक–एक प्रति सभी सदस्यों को भी उपलब्ध करा दी जाये, जिससे उस पर सभी सदस्य गहनता से विचार–विमर्श कर सकेंगे तथा पारदर्शिता भी कायम रहेगी। इस पर यह भी विचार कर लिया जाये कि कहीं–कहीं पूर्वान्ह 11:00 बजे तक प्रकाश बिन्दु जला करते है या कहीं के प्रकाश बिन्दु तीन–तीन दिन तक बंद रहते है, तो इन बिन्दुओं का किस प्रकार संचालन किया जायेगा। वैसे ऊर्जा बचत करनें की हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है, यदि ऊर्जा की बचत नही होगी तो खेत में बैठा किसान अपनी फसलों की सिंचाई–मड़ाई कैसे कर सकेगा, साथ ही शहरों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था कैसे यथावत् कायम रह सकेगी।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि ऊर्जा बचत के सम्बन्ध में प्रस्ताव उचित है, परन्तु दो बिन्दुओं पर चर्चा कर ली जाये तो उचित होगा, क्योंकि पूर्व में भी वर्ष 2009 में ग्रीम कम्पनी के नाम से 05 वर्ष का समझौता किया जा चुका था, जिसमें सोडियम के स्थान पर 75वॉट की एल0ई0डी0 लगाने का प्रस्ताव किया गया था परन्तु सफल नही रहा। अतः इस प्रश्नगत कम्पनी के सम्बन्ध में भी तय कर लिया जाये कि कितने वर्ष का अनुबन्ध किया जायेगा, साथ ही यह भी विचार कर लिया जाये कि ऊर्जा बचत का निर्धारण किस मानक के आधार पर किया जायेगा, अन्यथा क्षेत्रों में समुचित प्रकाश व्यवस्था न होने पर क्षेत्रीय पार्षद ही पकड़ा जायेगा और उससे कहा जायेगा कि इससे बेहतर तो पूर्व में प्रकाश व्यवस्था थी, अतः पूर्व की प्रकाश व्यवस्था यथावत् रखी जाये। अतः अध्यक्ष महोदय अनुरोध है कि विस्तृत रूप से विचार करने के उपरान्त ही प्रस्ताव से सम्बन्धित कन्सलटेंट इत्यादि की नियुक्ति हेतु टेण्डर आदि की जो भी प्रक्रिया की जाये उसमें आप द्वारा गठित समिति के माध्यम से पार्षदों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये तदोपरान्त ही प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाये।

श्री हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि शासन का भेजा गया प्रस्ताव उचित है, परन्तु कुछ गोलमाल किया गया है। अतः शासन के पत्र को पटल पर रखा जाये, साथ ही यह भी बताना चाहता हूँ कि इससे भी अच्छी–अच्छी तकनीकि वर्तमान में आ चुकी है तथा अन्य कम्पनियाँ भी अपना प्रस्ताव भेज सकती है। उदाहरण स्वरूप कम्पनियों के प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय को सौंपते हुये कहा कि यदि चाहे तो उनसे भी सम्पर्क स्थापित कर लिया जाये। ऊर्जा बचत की धनराशि का भुगतान पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धमासिक या वार्षिक किस प्रकार होगा तथा दण्ड का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा। कंसलटेन्ट नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी ? नगर निगम को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कम्पनी का अधिकारी करेगा या नगर निगम का अधिकारी ?

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि एटूजेड कम्पनी से सम्बन्धित प्रस्ताव भी शासन द्वारा प्रेषित किया गया था। कूड़ा से खाद बनाने का सपना दिखाया गया था। खाद तो नही बनी लेकिन कूड़ा शहर में चारो तरफ बिखरा पड़ा है। बिजली की बचत के समतुल्य धनराशि का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा। जिस प्रकार सी0एफ0एल0 लाईट लगाने का प्रस्ताव आया था, उसी प्रकार इस कम्पनी का भी हश्र न हो। अतः सभी तथ्यों पर विस्तृत रूप से विचार कर लिया जाये।

श्री अतुल त्रिपाठी ने कहा कि पढ़ने में प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, परन्तु पिछले एटूजेड के प्रस्ताव की तरह दही दिखाकर कहीं चूना न चटाया जाये। यदि कम्पनी अनुबन्ध बीच में तोड़कर भागती है तो उस पर क्या कानूनी कार्यवाही कराई जायेगी। जोन–2 एवं 4 में कार्य की प्रस्तावना सर्वप्रथम प्रस्तुत करने को उल्लिखित किया गया है, इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मोतीझील, सरकारी बंगलों या नगर निगम विद्यालयों में लगवा कर परीक्षण कर लिया जाये कि सोडियम लाईट की तुलना मे एल.ई.डी. का प्रकाश कैसा है। पारदर्शिता लाने हेतु पूरे प्रस्ताव से सम्बन्धित दस्तावेज सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये।

श्री कौशल मिश्र ने कहा कि मेरे वार्ड के 165 प्रकाश बिन्दुओं में 100 बन्द है। अतः पहले प्रत्येक वार्ड में 10–10 एल.ई.डी. लगवाई जाये, यदि उनसे समुचित प्रकाश होता है तभी इस प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृत करने के लिये धन्यवाद्, साथ ही सदन पीठ का ध्यान 1100 लाईटों की जाँच की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, उस पर आज तक कोई निर्णय नही लिया जा सका। आज एल.ई.डी. का प्रस्ताव लाया गया है। जिस प्रकार एटूजेड से नगर निगम को धोखा मिला है, उसे ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव पर विचार किया जाये। एटूजेड के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिये मैने अध्यक्ष महोदय को प्रस्ताव दिया है कृपया तद्नुसार सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें। जलकल विभाग जहाँ से पूरे

शहर को जलापूर्ति की जाती है, उसी स्थल के पास बेनाझाबर में एक होटल व्यवसायी द्वारा अनियमित ढंग से दुकान खोल रखी है, जिससे कभी भी अप्रत्याशित घटना घटने की आशंका बनी है। अतः इस पर भी कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को आदेश प्रदान करने का कष्ट करें।

श्री आलोक शुक्ला ने कहा कि प्रस्ताव में कम्पनी के नाम से लाभ लिये जाने की आशंका छिपी है। क्योंकि मार्गप्रकाश विभाग पूर्व से ही संदेह के घेरे में है। एटूजेड से 30 वर्ष का अनुबन्ध नगर निगम द्वारा किया गया था परन्तु परिणाम सबके समक्ष है। अतः इसको देखते हुये प्रस्ताव पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य अभियन्ता वि0/याँ0 श्री अस्थाना सदस्यों द्वारा व्यक्त किये जा रहे विचारों को नोट करते जाये जिससे आप इनकी आशंकाओं को दूर करने हेतु अपना वक्तव्य दे सके।

श्री मो0 शमीम आजाद ने कहा कि सर्वप्रथम नगर निगम ने जी0आई0एस0 लाकर शहर की जनता को छला, एटूजेड द्वारा धोखा प्राप्त हुआ, उसी प्रकार एल0ई0डी0 के प्रस्ताव पर भी विशेष रूप से सतर्कता बरतते हुये ही विचार किया जाये। शीत ऋतु आ गयी है अतः शेल्टर होम्स में 100–100 कम्बल रखवाये जाये तथा समय–समय पर क्षेत्रीय पार्षद एवं अधिकारियों द्वारा निरीक्षण भी किया जाये।

श्री सुमित कुमार सरोज ने कहा कि कृपया स्पष्ट किया जाये कि प्रकाश बिन्दुओं का संचालन कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा या नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा। चौराहों पर हाईमास्क लगे है, वहाँ पर क्या व्यवस्था होगी ? शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा लगाये गये प्रकाश बिन्दुओं का क्या किया जायेगा।

श्री राज किशोर यादव ने कहा कि प्रकाश बिन्दु खराब होंगे तो शिकायत/मरम्मत हेतु नगर निगम से कहा जायेगा या कम्पनी से। जोन–2 व 4 को जो सर्वप्रथम लिया गया है, उसके स्थान पर जोन–2 के किसी एक वार्ड को प्रयोग में लिया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि मात्र एक–दो सदस्यों के कारण सदन की गरिमा तार–तार होती है, जिससे समाचार पत्रों के माध्यम से शहर की जनता दूसरे दिन अवगत होती है। अतः सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये सभागार में शांति स्थापित रखी जाये। वैसे मेरे भी संज्ञान में है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एटूजेड कम्पनी से नगर निगम का 30 वर्षो का अनुबन्ध किया गया है, जिसका कड़ुआ अनुभव समाज के सामने स्वयमेव परिलक्षित हो रहा है। हम सभी की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। अतः विशेष सतर्कता बरती जाये, अपेक्षा करता हूँ कि संदर्भित पर नगर आयुक्त अपने विचार व्यक्त करेंगे।

ह0....महापौर

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि मेसर्स स्मार्ट एल0ई0डी0 लाईटिंग सॉल्यूशन, मुम्बई ने उ0प्र0 शासन को प्रस्ताव भेजा, जिसे शासन ने सदन को विचार हेतु भेजा है। सभी लोग अवगत है कि शासन द्वारा नियुक्तियाँ प्रतिबन्धित है, परिणाम स्वरूप कर्मचारियों की कमी है। एल0ई0डी0 लाईट से ऊर्जा सेविंग तो होगी ही, साथ ही मैन पावर की कमी की भी पूर्ति होगी, क्योंकि कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों के माध्यम से प्रकाश बिन्दुओं का संचालन किया जायेगा। कन्सलटेंट नियुक्ति एवं पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जायेगी, आपसे छिपाकर कोई कार्य नही किया जायेगा। एक कन्ट्रोल रूम की जगह कम्पनी को दी जायेगी, कन्सलटेन्ट की नियुक्ति ओपेन टेण्डर के तहत होगी। श्री अस्थाना द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया जा रहा है, कि कहाँ उपकरण खराब पड़े है और कहाँ नये लगने है। अर्थदण्ड का निर्धारण भी नियमानुसार किया जायेगा।

श्री आर0एम0 अस्थाना ने कहा कि ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुये ही उ0प्र0 शासन ने नगर निगम को प्रस्ताव भेजा है। नगर आयुक्त के निर्देशानुसार अक्षरशः पालन किया जायेगा।

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि शासन का प्रस्ताव तो ठीक है परन्तु मंशा ठीक नही है, अतः निविदा आमंत्रण के समय अन्य कम्पनियों को भी प्रतिभाग करने के लिये समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति प्रकाशित करके आमंत्रित करते हुये कार्यवाही कराई जाये।

..... ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से एनर्जी सेविंग लाइट (एल0ई0डी0) लगाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाये रखते हुये प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष ने आज दिनांक–11.11.2014 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने हेतु कहा।

..... सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–11.11.2014 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

अन्त में राष्ट्रगान के साथ बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

(जगत वीर सिंह द्रोण)
महापौर/अध्यक्ष